न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 149/2016
दायर दिनांक – 25/07/2016
निर्णय दिनांक – 21/12/2017

अनवान

1. मेहताबी पुत्री श्रीराम जाट निवासी कुरज तह0– रेलमगरा
2. शकरी पुत्री श्रीराम जाट निवासी कुरज तह0– रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. बरदू पिता श्रीराम जाट निवासी कुरज तह0– रेलमगरा
2. सोनी बेबा मोहन लाल जाट निवासी कुरज तह0– रेलमगरा
3. माना पिता चैना रेगर निवासी कुरज तह0– रेलमगरा
4. बदरी लाल पिता हजारी जाट निवासी कुरज तह0– रेलमगरा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजियक तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् 88, 89 व 188 आर0 टी0 ए0

: : निर्णय : :

प्रकरण अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर के अपील प्रकरण संख्या 20/2012 (राजसमन्द डिक्री) के निर्णय दिनांक 10/06/2016 से इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया जावें। इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के तलब किया गया। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता संक्षिप्त में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुरज के आराजी संख्या 929 रकबा 9–08 बीघा एवं आराजी संख्या 4269 रकबा 3–18 बीघा, आराजी नम्बर 4270 रकबा 3–13 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 16–19 बीघा स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के ससूर श्रीराम जी के खातेदारी की भूमियां स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का पति मोहन लाल चारों ही मृतक श्रीराम के जायन्दा पुत्र एवं पुत्रियां है और श्रीराम द्वारा छोडी जाने वाली सम्पति के मृतक श्रीराम के सभी वारिसान बराबर समान हक से मालिक है और वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कुलिया आराजीयात मृतक श्रीराम जी के खातेदारी की थी जो मौरूसी जायदाद होकर मृतक श्रीराम के वारिसान का सभी आराजीयात पर बराबर

सहायक कलक्टर

समान हक बनता है। और मृतक श्रीराम की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई जायदाद का ना0क0 खोला गया उस समय श्रीराम के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 बरदू हम वादीयागण तथा श्रीराम जाट का पुत्र मोहनलाल जिसका देहान्त हो जाने से उसकी बेवा प्रतिवादीयागण संख्या 2 के नाम पर खोला जाना चाहिए था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बिना हम वादीयागण को बताये ही बाला–बाला मृतक श्रीराम जाट के खातेदारी की आराजीयात जिसका वर्णन वादपत्र के चरण 1 में किया गया है का ना0क0 नन्हा अपने नाम पर करा लिया जबकि उनको ऐसा करने का कोई वैद्य अधिकार नहीं था और दोनों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यह भली प्रकार जानते थे कि वाद पत्र के चरण एक में वर्णित आराजीयात मौरूसी जायादाद है और उसमें हम वादीगण का भी उनके समान ही हक बनाता है। फिर भी गैर कानूनी तरीके से ना0क0 अपने नाम पर खुलवा लिया जो स्वतः निरस्त होने योग्य है और ऐसे ना0क0 को निरस्त करा अवैध घोषित कराये जाने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायोचित है कि तथा कथित ना0क0 संख्या 270 दिनांक 17.08.1975 अवैध है। वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज रेकार्ड कुलिया आराजीयात में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बरदू का व 1/2 प्रतिवादीया सोनी बेवा मोहन लाल के नाम दर्ज जमाबन्दी हो जाने से मनमाने ढंग से जमीन को अन्यत्र बिकाव कर नाजायज राशि हांसिल कर रहे है । जबकि कुलिया आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 2 का भी 1/4 हिस्सा ही बनता है। और अपने 1/4 हिस्से से अधिक जमीन को अन्यत्र हस्तान्तरण करने के उन्हें कोई वेद्य अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सहज हम वादीगण का हक समाप्त करने की नियत से वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का नामान्तरण अपने नाम पर खुलवा लिया जिससे ऐसे ना0 क0 हम वादीयागण के मुकाबले में प्रभावहीन एवं शुन्य है। ऐसे ना0क0 को अवैध घोषित किये जाने के लिए घोषणात्मक डिक्री इस आशय की प्रदान की जाना आवश्यक है कि ना0क0 संख्या 270 बिना वादीयागण को जानकारी दिये खोला गया है जो अवैध है। वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात मौरूसी सम्पति है और हम वादीयागण भी मृतक श्रीराम जाट की जायन्दा पुत्रियां है और हमारा भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समान बराबर हक है। जिससे राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में हम वादीयागण का नाम भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोजित है। वादीयागण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कतिपय बार राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ हमारा भी नाम खातेदार काश्तकार दर्ज कराने हेतु कहा तो किसी ने कोई ध्यान नही दिया सबब यह वाद पेश करने को विवश होना पडा है। इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर द्वारा शंकरी के विरूद्ध दावा अबैट नहीं माना जाकर पुनः प्रेषित किया गया। पक्षकारान को जरिये सुचना तलब की गई। वाद संख्या 1 मेहताबी पुत्री श्रीराम जाट के विरूद्ध पुर्व में ही दावा अबैट हो चुका, तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां ग्राम कुरज में स्थित होना सही होकर स्वीकार है। 1 वादपत्र की कलम

सहायक कलेक्टर

संख्या 2 में वर्णित जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादीया शंकरी पिता श्रीराम की पुत्री अवश्य है। वादीया संख्या 1 मेहताबी की ओर से वाद अबेट हो चुका है जिससे वह किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नही कर सकती है। श्रीराम की भुमियां उनके जीवन काल में ही प्रतिवादी संख्या 1 वरदु एवं मोहनलाल दोनों पुत्रों को कुल भुमि में 1/2 हिस्सा कोपासनर के रूप में प्राप्त हो चुका था। जिससे मोहन की मृत्यु के पश्चात मोहन का हिस्सा अर्थात वादग्रस्त भूमि में श्रीराम के जीवनकाल में ही पूर्व मृत पुत्र की पत्नि के रूप में 1/4 हिस्सा प्राप्त हो चुका था एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को श्रीराम के जीवनकाल में ही हिन्दु संयुक्त परिवार के अनुसार प्राप्त हो चुका था। श्रीराम की 1/2 हिस्से की भूमियों में पुनः श्रीराम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 को व पुर्व में मृत पुत्र की पत्नि के रूप में एवं प्रतिवादी संख्या 1 वरदु को पुत्र के रूप में समान हक प्राप्त हो गया था। जिससे वादग्रस्त भूमियां में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आधा–आधा हिस्सा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो गया। वादीयां शंकरी व मेहताबी ने अपने हिस्से की भूमियों का हक अधिकार त्याग दिया था एवं उसके एवज में श्रीराम ने अपने जीवनकाल में उन्हें जैवर दे दिया था एवं मायरा आदि सारे सामाजिक खर्चे श्रीराम वरदीचन्द व सोहनी ने किये थे। वादीया शंकरी अपनी सकुतन भी तर्क कर चुकी है वादीगण शंकरी व मेहताबी का कोई समान हक नहीं बनता है। वादपत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादीयां शंकरी का न तो कोई हिस्सा है न उसका कोई कब्जा है एवं न ही उसका 1/4 हिस्सा बनता है। वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित जिस रूप में किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादीयां शंकरी ने इस कलम में तथ्यों की पुनरावृती की गई है जिससे जवाब आवश्यक नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित जिस रूप में किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। श्रीराम का स्वर्गवास हुए 25–30 वर्ष हुए है मोहनलाल को मरते समय हिन्दु संयुक्त परिवार 1/4 हिस्सा प्राप्त था वह सोहनी को प्राप्त हो गया एवं शेष 1/2 हिस्सा जो श्रीराम को प्राप्त था वह उनकी मृत्यु के पश्चात पुत्र वरदू एवं मृत पुत्र मोहनलाल की पत्नि के रूप में प्रतिवदी संख्या 2 को अधिकार प्राप्त हो गये । जिससे वादग्रस्त भूमि में सोहनी को 1/2 हिस्सा प्राप्त हो गया । वादपत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 ने आराजी नम्बर 929 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को बिल एवज 33000/– रूपय में दिनांक 15.07.1995 को विकय साधिकार किया गया। इसी प्रकार आराजी संख्या 4269 व 4270 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को बिल एवज 110000/– रूपये में दिनांक 12.10.1997 को विकय करना सही होकर स्वीकार तथा विकय की दिनांक से उक्त दोनों आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 4 का स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है एवं प्रतिवादी शंकरी जब तक इस विकय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा दे तब तक उसका वाद चलने योग्य नहीं है। वादीयां शंकरी को कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है बल्कि आराजी संख्या 4269 व 4270 में मय आ0 चाह 4187 में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 समान रूप से सहखातेदार होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 बोनाफाईड पर्चेजर फोर वेल्यु होकर वह अपने 1/2 हिस्से में उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रत्येक को 1/4 हिस्सा वरदु व मोहनलाल

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

को प्राप्त हो गया था इसलिए वादीयां शंकरी का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि में उसे 1/4 हिस्सा प्राप्त हो गया पुर्णतया गलत है। श्रीराम की मृत्यु के समय 1/2 हिस्सा उन्हें प्राप्त था। वह विरासत से पुत्र वरदू व मृत पुत्र मोहन लाल की पत्नि सोहनी को प्राप्त हो गया । वादपत्र की कलम संख्या 7 में बर्णित किया गया कि उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादीया का कोई स्वत्व आधिपत्य नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 8 में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 9 में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादी को वाद हेतु किस प्रकार से व कब तथा कैसे उत्पन्न हुआ कही वर्णित नहीं किया गया जिससे भी वादी का वाद खारिज होने योग्य है। प्रार्थना वादीया मिथ्या है जिससे वादीयां का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें। एवं विशेष हर्जा–खर्चा प्रतिवादी संख्या 2 व 4 को दिलाया जावें। पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया इसलिए जब तक उक्त वादीया उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती है तब तक वादीयां का उक्त वाद नहीं चल सकता है। उक्त मौरूसी भूमि स्वर्गीय श्रीराम के जीवनकाल में दोनों पुत्र वरदू व मोहनलाल पिता पुत्र होकर कोपासनर है जिससे विवादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा वरदु व मोहनलाल को प्राप्त हो गया था। मोहन की मृत्यु के समय शेष 1/4 हिस्सा पूर्व मृत पुत्र मोहनलाल की पत्नि सोहनी को प्राप्त हो गया । इस प्रकार प्रतिवादीयां मोहनी का 1/2 हिस्सा था तथा सोहनी ने अपने अधिकारों सहित प्रतिवादी संख्या 4 की भुमियां विक्रय की गई जिससे वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4 का स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है। इस पर दावा एवं जवाबदावा अनुसार निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1– आया वादीया शंकरी का वादग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्सा घोषित कराने की अधिकारिणी है।

–वादियां संख्या 2

2– आया प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित पंजिकृत विक्रय पत्र वादीयां संख्या 2 के मुकाबले शुन्य है।

–वादियां संख्या 2

3– आया प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर दीवानी न्यायालय को है जिससे विक्रय पत्र को निरस्त कराये बगैर वादीया संख्या 2 को वाद पोषणीय नहीं है।

–प्रतिवादी संख्या 4

4– आया वादीयां का कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ एवं जिसमें वादीयां का वाद पोषणीय नहीं है।

–प्रतिवादी संख्या 4

5– आया श्रीराम का समस्त भूमियों में प्रतिवादीयां सोहनी का पूर्व मृत पुत्र की पत्नि की हैसियत से 1/4 हिस्सा श्रीराम के जीवनकाल में ही प्राप्त हो जाने से वादीयां संख्या 2, 1/4 हिस्से में ही समान उत्तराधिकारीणी है।

–प्रतिवादी संख्या 4

6– अनुतोष :–

2/6
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
[illegible]

7– आया इस मामले में वादी कि ओर से वादी मुल्याकंन भी कायम नहीं किया गया है तथा इस बात का उज्र प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदेही में लिया गया कि वादी ने अपना वाद मुल्यांकन कायम नहीं किया गया एवं अपेक्षित न्याय शुल्क भी कम कायम किया गया इस बात की तनकी निर्मित किया जाना आवश्यक है।

–प्रतिवादी

8– आया वादी कि ओर से सम्पूर्ण वाद के अवलोकन से घोषणात्मक सहायता के लिए कोई वाद हेतु प्रकट नहीं होता है तथा जवाबदेही के अन्दर भी उक्त उज्र लिया गया ऐसी स्थिति में वादी का वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

–प्रतिवादी

वादीयां ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह PW-1 शंकरी, PW-2 गोवर्द्धन लाल, PW-3 सुरेश चन्द्र के बयान कलमबद्ध किये गये तथा वादीयां के अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–01 ग्राम कुरज के जमाबन्दी संवत 2030 के प्रस्तुत किये जिसमें वादीयां के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीयां के पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खुला उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रर्दश–2 है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने माना पिता चेना को जमीन विकय की उसकी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–3 है। नक्श ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–4 तथा मौजा कुरज के जमाबन्दी संवत 2049–52 के खाता संख्या 565 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–5 है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 में आराजी संख्या 4187 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–6 सोनी द्वारा बद्रीलाल को विकय की गई भुमि की रजिस्ट्री की नकल प्रर्दश–7 है। तथा प्रतिवादी की ओर से गवाह DW-1 बद्रीलाल ने अपनी तनकीयात के समर्थन में विकय पत्र की प्रति प्रर्दश–1 है उसकी फोटो प्रति प्रर्दश ए0 1 ए0 है कि प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष अधि0 की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजिरे ए0आई0आर0 1963 इलाहबाद, 108, Civil P.C. (5 of 1908)] O. 41, R. 4- Suit bye Several plainfiffs – on dismissal only one of them filing appeal. के सुप्रिम कोर्ट सिविल अपील 8538/2011, 40 आर0बी0जे0 (10) 2003 पेज 482, आर0बी0जे0 (9) 2002 पेज 81, आर0आर0डी0 1996 पेज 161, उच्चतम न्यायालय 2006(7) 383, उच्च न्यायालय जयपुर 2006(2)RLW(RJ) 1296 के प्रस्तुत की गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

- तनकी संख्या 01 जिम्मे वादिया संख्या 02 होकर उक्त तनकी के समर्थन में समर्थन में गवाह PW-1 शंकरी, PW-2 गोवर्द्धन लाल, PW-3 सुरेश चन्द्र के बयान कलमबद्ध किये गये तथा वादीयां के अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–01 ग्राम कुरज के जमाबन्दी संवत 2030 के प्रस्तुत किये जिसमें वादीयां के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीयां के पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खुला उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रर्दश–2 है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने माना पिता चेना को जमीन विकय की उसकी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–3 है। नक्श ट्रेश की प्रमाणित प्रति

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रर्दश–4 तथा मौजा कुरज के जमाबन्दी संवत 2049–52 के खाता संख्या 565 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–5 है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 में आराजी संख्या 4187 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश–6 सोनी द्वारा बद्रीलाल को विकय की गई भुमि की रजिस्ट्री की नकल प्रर्दश–7 के प्रस्तुत किये गये। वादिया संख्या 02 श्रीराम की जायन्दा पुत्री हो विधिक वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमियां वादिया संख्या 02 की पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रत्येक विधिक वारिसान को पैतृक सम्पत्ति में समान हक अधिकार निहित है। जिससे वादीगण उक्त तनकी को सिद्व करने के सफल रहने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

- तनकी संख्या 02 जिम्मे वादीया संख्या 02 होकर तनकी संख्या 01 के अनुसार वादीगण उक्त तनकी को भी सिद्व करने में सफल रहने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।
- तनकी संख्या 03 जिम्मे प्रतिवादी संख्या 04 होकर तनकी संख्या 01 व 02 के अनुसार वादीगण श्रीराम की जायन्दा पुत्रीयां हो विधिक वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रत्येक विधिक वारिसान को पैतृक सम्पत्ति में समान हक अधिकार निहित है। जिससे उक्त विकय पत्र को निरस्त कराने की आवश्यकता नही रहती है। प्रतिवादी संख्या 04 उक्त तनकी को सिद्व करने के असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्व निर्णित की जाती है।
- तनकी संख्या 04 जिम्मे प्रतिवादी संख्या 04 होकर तनकी संख्या 01, 02 व 03 के अनुसार वादीगण श्रीराम की जायन्दा पुत्रीयां हो विधिक वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रत्येक विधिक वारिसान को पैतृक सम्पत्ति में समान हक अधिकार निहित होने से बाद हेतु उत्पन्न होता है। प्रतिवादी संख्या 04 उक्त तनकी को सिद्व करने के असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्व निर्णित की जाती है।
- तनकी संख्या 05 जिम्मे प्रतिवादी संख्या 04 होकर पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतिवादीया सोहनी के पति का नाम मोहनलाल होकर मोहनलाल श्रीराम का जाईन्दा पुत्र था जिससे उसका भी श्रीराम की समस्त भूमियों में समान रूप से 1/4 हिस्सा पृथक से निहित है ना कि प्रतिवादीया सोहनी के 1/4 हिस्से में वादीया संख्या 02 का समान हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 04 उक्त तनकी को सिद्व करने के असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्व निर्णित की जाती है।
- तनकी संख्या 06 अनुतोष होकर न्यायालय का क्षैत्राधिकार से सम्बन्धित है।
- तनकी संख्या 07 जिम्मे प्रतिवादी होकर प्रतिवादी को वाद प्रकरण क प्रारम्भ में ही आपत्ति प्रकट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जिससे प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्व करने के असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर

- तनकी संख्या 08 जिम्में प्रतिवादी होकर उक्त तनकी का निर्णय तनकी संख्या 04 में निहित होकर प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्व करने के असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीयात के विवेचन के आधार पर वादी संख्या 2 का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज के आराजी संख्या 929 रकबा 9.08 बीघा भूमि में वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा